संग्रो/द्वेत

:टेण्डर सूचना:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निगम मुख्यालय के पत्रांक 2209 एमटी/2016 दिनांक 186 एमटी/2016 दिनांक 05–07–2016 एवं पत्रांक 63 प्ला0सेल/18–19/02 वाल्यूम–2 दिनांक 02–08–2018 में अंकित प्राविधानों एवं दरों के अनुसार कैसरबाग, चारबाग, बाराबंकी एवं आलमबाग बस टर्मिनल पर बाहर मार्ग से चल कर आई बसों एवं गन्दी बसों में अन्दर से झाड़ू लगाना, गीले कण्ड़े पर डिटर्जेन्ट लगाकर बस की सीटों को पोछना तथा बस के शीशे अन्दर से साफ किये जाने व प्रति बस की दर से सफाई कराये जाने हेतु अनुभवी ठेकदारों के चयन हेतु दिनांक 26–12–2019 को निविदा/प्रस्ताव टेण्डर बाक्स में डाले जायेगें। बसों की सफाई हेतु ठेके की अवधि दो वर्ष होगी।

टेण्डर कार्यवाही दो चरणों में होगी :

1– टेक्निकल बिड : टेक्निकल बिड में फर्म द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेगें, जिनका विवरण निम्नवत् है :

1– बस सफाई कार्य/हाउस कीपिंग कार्य का 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।
2– फर्म का गत 02 वर्ष 2018–2019 एवं 2019–20 का वार्षिक टर्न ओवर, बैलेंस शीट की सत्यापित प्रति।
3– फर्म का पैन कार्ड।
4– फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र।
5– फर्म के प्रोपाईटर का आधार कार्ड।
6– ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र/यदि नही है तो 02 माह में रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा।
7– बस सफाई हेतु स्टेशनवार निर्धारित कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु सहमति पत्र देना होगा।

सत्यापनोपरान्त फर्मो का सम्बन्धित बस स्टेशनों पर बसों की साफ सफाई का एक सप्ताह तक निःशुल्क ट्रायल देना होगा। जिसमे क्षेत्रीय समिति द्वारा नामित सदस्यों द्वारा प्रेषित फर्मो की सफाई सम्बन्धी वर्किंग रिपोर्ट के आधार पर ही उपयुक्त पायी गयी फर्मो की फाईनेन्सियल बिड खोली जायेगी,

2– फाईनेन्सियल बिड : ट्रायल उपरान्त उपयुक्त पाई गयी फर्मो में न्यूनतम प्रति बस सफाई दर देने वाली फर्म का चयन क्षेत्रीय समिति द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 26–12–2019 को अपरान्ह 15:00 बजे प्राप्त प्रस्तावों/टेकनिकल बिड को क्षेत्रीय समिति द्वारा खोला जायेगा। प्रति बस स्टेशन प्रस्ताव के साथ टेण्डर हेतु निविदा शुल्क रू0 236/– का बैंक ड्राफ्ट एवं प्रतिभूति मद हेतु प्रति बस स्टेशन हेतु धनराशि रू0 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। बिना निविदा शुल्क एवं बिना प्रतिभूति धनराशि के प्राप्त प्रस्तावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग बस स्टेशन, चारबाग बस स्टेशन, बाराबंकी एवं आलमबाग बस टर्मिनल पर बसों की सफाई धुलाई गाईड लाईन के अनुसार कार्य कराने होगें। विवरण निम्नवत् है :

1–चारबाग बस स्टेशन, कैसरबाग बस स्टेशन, बाराबंकी एवं आलमबाग बस टर्मिनल पर जो बसें मार्ग से चलकर आई हो अथवा गन्दी हो उन बसों की साफ सफाई कराई जायेगी।
2–बसों की सफाई/धुलाई में निम्नवत् कार्य कराये जाने आवश्यक होगें।
(क) बस में गीले कपड़े/स्पंज पर डिटर्जेन्ट लगाकर बस की सीटो को पोंछना।
(ख) बस में अन्दर से झाड़ू लगाना।
(ग) बस की शीशे अन्दर से साफ करना।
(घ) यदि बस बाहर से गन्दी है तो गीले कपड़े/स्पंज से पोछंना।
3– बसों की साफ सफाई हेतु प्रतिबस सफाई हेतु दरें (समस्त कर सहित)प्रस्तावक/टेण्डर दाता दी जायेगी।
4– प्रति बस न्यूनतम दर देने वाले प्रस्तावक/टेण्डरदाता का चयन करते हुए टेण्डर व अनुबंध निष्पादित किये जाने की कार्यवाही क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समिति द्वारा की जायेगी।
5– प्रस्ताव आमंत्रण कार्यवाही किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त किये जाने का अधिकार क्षेत्रीय समिति को होगा।
6– बसों की सफाई धुलाई हेतु फर्म द्वारा लगाये गये कर्मी परिवहन एवं पर्यवेक्षक निगम के कर्मी नही माने जायेगें।
7– फर्म को परिवहन निगम में बसों की साफ–सफाई हेतु पूर्व में किये गये कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा।
8– बस की साफ सफाई का भुगतान सम्बन्धित बस के क्रू द्वारा फर्म के कार्मिक को किया जायेगा। यदि निरीक्षण के दौरान बस गन्दी पाई जाती है तो सम्बन्धित वाहन के चालक/परिचालक को उत्तरदायी मानते हुए रू0 100/– अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

9– बस स्टेशन पर फर्म द्वारा आकर मार्ग पर जाने वाली सभी बसों की सफाई प्लेटफार्म पर कराया जायेगा तथा उक्त कार्य की रसीद 03 प्रतियों में प्रिन्ट करायी जायेगी।

1– वाहन क्रू　　　2– स्टेशन प्रबंधन　　　3– सम्बन्धित फर्म

10– फर्म द्वारा उक्त कार्य के लिये राउन्ड–द–क्लाक सफाई कर्मी लगाये जायेगें तथा तीन शिफ्टों में एक पर्यवेक्षक लगाया जायेगा।

कैसरबाग बस स्टेशन,
प्रथम पाली– 6 कार्मिक　　द्वितीय पाली– 4 कार्मिक　　तृतीय पाली– 03 कार्मिक

चारबाग बस स्टेशन,
प्रथम पाली– 4 कार्मिक　　द्वितीय पाली– 3 कार्मिक　　तृतीय पाली– 02 कार्मिक

बाराबंकी बस स्टेशन,
प्रथम पाली– 6 कार्मिक　　द्वितीय पाली- 4 कार्मिक

आलमबाग बस टर्मिनल,
प्रथम पाली– 6 कार्मिक　　द्वितीय पाली– 4 कार्मिक　　तृतीय पाली– 02 कार्मिक

12– बसों की साफ सफाई हेतु सामग्री, डिटर्जेंट, झाड़ू, पोंछा, स्पंज इत्यादि की व्यवस्था फर्म द्वारा अपने स्तर से करायी जायेगी, जिसका परिवहन निगम द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा।

11– बसों की बसों की साफ सफाई हेतु फर्म कार्य अनुमति/अनुबंध किये जाने के उपरान्त बसों की सफाई के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जॉच कराये जाने पर पुष्टि हो जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किये जाने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबंधक में निहित होगा। जिसके सम्बन्ध में फर्म द्वारा कोई वाद दाखित नही किया जायेगा के सम्बन्ध में सहमति पत्र देना होगा।

किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ में निहित रहेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।

पत्रांकः 7562/ल0क्षे0/क्षे0प्र0/ठेका–बस सफाई धुलाई/2019　　दिनांक 13–12–2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2–प्रधान प्रबन्धक (विप0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ
3– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, ... क्षेत्र।
4– सेवा प्रबन्धक/स0क्षे0प्र0(प्रावि0) उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।
5–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
6– नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय, लखनऊ एवं tender@upsrtc.com

क्षेत्रीय प्रबन्धक
लखनऊ।

Downloaded from www.upsrtc.com